

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर
(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजकीय चिकित्सालय नागौर)

क्रमांक:—आरएमआरएस/चिकित्सा/लेखा/2017-18/113

दिनांक:—04.03.17

—: ई-निविदा सूचना 03/2016-17 :-

जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर में एक कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन क्रय की जानी है। अतः इससे सम्बंधित विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं/डिस्ट्रीब्यूटर्स से ई-निविदा के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> and www.rajswasthya.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

(अपूर्व कौशिक)

सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजकीय चिकित्सालय,
नागौर (राजस्थान)
E-mail:-pmo-nag-rj@nic.in

दिनांक:—04.03.17

क्रमांक:—चिकित्सा/लेखा/2017/113

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. यूजवल एण्डवटाईजिंग एजेन्सी, नागौर को भेजकर लेख है कि राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में डी.आई.पी.आर. की दरो पर एक बार प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
2. यूजवल एण्डवटाईजिंग एजेन्सी, नागौर को भेजकर लेख है कि हिन्दुस्तान टाइम्स में समस्त राजस्थान में न्यूनतम स्पेस में डी.आई.पी.आर. की दरो पर एक बार प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
3. कम्प्यूटर ओपरेटर कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर आपलोड करे।
4. निदेशक आई.टी को www.rajswasthya.nic.in पर अपलोड करावे।
5. सदस्य क्रय कमेटीराजकीय चिकित्सालय नागौर।
6. नोटिस बोर्ड समस्त खण्ड मुख्यालय, जिला, नागौर।

(अपूर्व कौशिक)

सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजकीय चिकित्सालय,
नागौर (राजस्थान)

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर
(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय नागौर)
क्रमांक:-चिकित्सा/लेखा/2017/113 दिनांक :- 04.03.17

:- ई-निविदा सूचना-03/2017-18 :-

जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर में एक कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन क्रय की जानी है। अतः इससे सम्बंधित विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं/डिस्ट्रीब्यूटर्स से ई-निविदा के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	आवश्यक सामग्री का विवरण	संभावित व्यय (लाखों में)	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	RISL का प्रक्रिया शुल्क	निविदा प्रपत्र आनलाइन अपलोड व डाउनलोड करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की तिथि व समय	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि व समय
1	कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन	15.50	31,000 (सदस्य सचिव, RMRS नागौर के नाम डी.डी. द्वारा देय)	400 (सदस्य सचिव, RMRS नागौर के नाम डी.डी. द्वारा देय)	500 (मेनेजिंग डायरेक्टर, RISL जयपुर के नाम डी.डी. द्वारा देय)	20.03.17 06:00 पी.एम. तक	21.03.17 02:00 पी.एम. तक	21.03.17 04.00 पी.एम.

विस्तृत निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अंतिम तिथि से पूर्व <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in>, एवं <http://www.rajswasthya.nic.in> से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र पूर्ण हस्ताक्षर सुदा/डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत करना होगा। निविदा इस कार्य के लिए गठित सक्षम समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा के साथ धरोहर राशि व उपरोक्त सामग्री (जिसके सम्बन्ध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है।) का व्यवसाय करने का स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा प्राप्त करने व खोलने के समय में विशिष्ट परिस्थितियों में बदलाव किया जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। बिना धरोहर राशि व देशी से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा का विस्तृत विवरण <http://sppp.rajasthan.gov.in> पोर्टल पर देखा जा सकता है।

- धरोहर राशि रुपये 31000/- (अक्षरे इकतीस हजार मात्र) सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर के नाम डी.डी. द्वारा जमा करवानी होगी।
- फर्म का वैध वेट टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य हैं।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, GF&AR के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।
- निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करने की अवधि 05.03.2017 प्रातः 10.00 बजे से 20.03.2017 को सांय 06:00 बजे तक होगी।
- (अ)- निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 20.03.2017 सांय 06:00 बजे तक अपलोड करवाये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर द्वारा दिनांक 21.03.2017 को दोपहर बाद 04:00 बजे खोली जाएगी। यदि उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।
(ब) निविदा अपलोड करवाने एवं उसके बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया आनलाईन होगी।
- सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर कार्यालय में निविदादाता द्वारा दिनांक 05.03.2017 से 20.03.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में सांय 05:00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in>, एवं <http://www.rajswasthya.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- निविदादाता द्वारा निविदा हेतु निम्नलिखित राशि सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर में जमा करवानी होगी :-

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	भुगतान देय
1	निविदा शुल्क	400/-	DD/ Bankers Cheque Nationalised or Scheduled Bank	सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर
2	धरोहर राशि	31000/-	DD/ Bankers Cheque Nationalised or Scheduled Bank	सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर
3	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/-	DD/ Bankers Cheque Nationalised or Scheduled Bank	M.D., R.I.S.L., Jaipur

उपरोक्त राशि तथा आवश्यक मूल दस्तावेज निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में दिनांक 05.03.2017 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 21.03.2017 को 02:00 पीएम तक बन्द लिफाफे में जमा करवाना आवश्यक है।

8. निविदा में संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in>, एवं <http://www.rajswasthya.nic.in> वेबसाइट पर ही किये जायेंगे। निविदादाताओं द्वारा वेबसाइट पर संशोधन/ स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
अ निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
ब निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
स इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
द किसी निविदादाता द्वारा यदि इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
य निविदा के सभी प्रपत्रों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन अपलोड करें।
र ऑनलाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए कार्यालय की जिम्मेदार नहीं होगी।
ल किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय होगा।

सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
नागौर (राजस्थान)
दिनांक:-04.03.17

क्रमांक:-चिकित्सा/लेखा/2017/113

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
2. श्रीमान् निदेशक(जन.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान-जयपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ), अजमेर।
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.....
5. नोटिस बोर्ड.....
6. कमेटी सदस्य

सदस्य सचिव
राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
नागौर (राजस्थान)

कार्यालय सदस्य सचिव आर.एम.आर.एस. (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी), नागौर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. सोनोग्राफी मशीन की दर समस्त (संलग्न स्पेशिफिकेशन के अनुसार) करो व अन्य खर्चा को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदादाता को बिक्रीकर/वैट कर व शोधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता निविदा के प्रत्येक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करे या डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अपलोड करेगा।
6. सोनोग्राफी मशीन की आपूर्ति जेएलएन राजकीय चिकित्सालय नागौर को करनी होगी जिसमें स्थापन, संचालन एवं सम्बन्धित ऑपरेटर को प्रशिक्षण देने आदि का समस्त व्यय मशीन की दर में सम्मिलित होंगे।
7. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जावेगा कि उनसे प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशिफिकेशन साईज मेक व ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह नहीं है यदि संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता अधिकारी से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
8. सप्लायर जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। ये स्पेशिफिकेशन्स के अनुरूप हैं। जहां पर सप्लायर किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेशिफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें ही स्वीकार किया जाएगा।
9. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टुट-फूट या रिसाव (लिकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लायर क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Requidare) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

11. सुपुर्दगी अवधि:- निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लायर आदेश की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर तक सामान की सप्लायर करने की व्यवस्था करेगा।

12. अर्नेस्टमनी:-

(क) निविदा के साथ निविदा सुचना में अंकितानुसार अर्नेस्टमनी प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी।

(ख) **अर्नेस्टमनी का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money):-** असफल निविदादाता की अर्नेस्टमनी निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) **अर्नेस्टमनी में छूट:-** उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान-जयपुर के पास पंजीकृत उन मदों के सम्बन्ध में जिनके कि उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उनकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सुचना दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई अर्नेस्ट मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा अर्नेस्टमनी/सिक्यूरिटी निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए

बयाना राशि/सिक्क्यूरिटी धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो अर्नेस्टमनी को उपयोग में लाया जा सकता है।

13. अर्नेस्टमनी का समपहर्ण :-

अर्नेस्टमनी को निम्नलिखित मामलों में समपहर्ण कर लिया जाएगा :-

- (अ) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।
- (ब) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को/शर्त को निष्पादित नहीं करता हो।
- (स) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद सिक्क्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता है।
- (द) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई करने में असफल रहता हो।

14. (1) करार एवं सिक्क्यूरिटी निक्षेप (Agreement and Security Deposit):-

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर नियमानुसार करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामनों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर सिक्क्यूरिटी जमा करानी होगी।
- (ii) निविदा के समय जमा करायी गयी अर्नेस्ट मनी को सिक्क्यूरिटी की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। सिक्क्यूरिटी की राशि किसी भी दशा में अर्नेस्टमनी से कम नहीं होगी।
- (iii) सिक्क्यूरिटी राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) सिक्क्यूरिटी राशि के रूप में नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जमा की जा सकेगी।
- (v) प्रतिभूति राशि सोनोग्राफी मशीन की गारन्टी/वारन्टी अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात् लौटाई जावेगी।

(3) सिक्क्यूरिटी निक्षेप का समपहर्ण:- सिक्क्यूरिटी की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहर्ण किया जाएगा :-

- (क) जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) सिक्क्यूरिटी निक्षेप को समपहर्ण करने के मामले युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

बीमा : (i) सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा ताकि यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों को भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा।

15. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए निविर्दिष्ट समय को निविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिसकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-

- (1) (क) विहित सुपुर्दगी की एक-चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए — 2.5 प्रतिशत
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए — 5.0 प्रतिशत
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि के अनधिक के लिए — 7.5 प्रतिशत
 - (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए—10.0 प्रतिशत
- (2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

- (3)परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (4)यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने की कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने यह सप्लाई आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा धटित होने पर तत्काल उसी समय करेगा न कि सप्लाई की निर्धारित तारीख के बाद।
- (5)यदि माल की सप्लाई में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
16. वसूलियाँ:—परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए माल की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलाता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सिक्कुरिटी निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
17. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
18. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो, पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता मय टेलीफोन नम्बर व दो आई.डी. प्रुफ की प्रति।
 - (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
19. यदि संविदा के निर्वचन(Interpretation) आंशय या संविदा की शर्तों के उल्लघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा। जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बन्धित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
20. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक होता किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा नागौर स्थित न्यायालय में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
21. निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग प्रस्तुत (अपलोड) करनी होगी। तकनीकी दृष्टि से सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी, जिसकी बाद में अलग से सूचना दी जायेगी। जिसकी सूचना ई-मेल या दूरभाष पर दी जायेगी।
22. क्रय समिति द्वारा चाहने पर उपकरण का डेमोस्ट्रेशन देना होगा।
23. निविदा में प्रस्तुत दरे अंको व शब्दों दोनों में प्रस्तुत करनी होगी।
24. दर भारतीय मुद्रा में प्रस्तुत करनी होगी।
25. तकनीक बिड में स्पेशिफिकेशन, पेन कार्ड की प्रति, व वेट क्लेरिफिकेशन, रजिस्टेशन प्रमाण पत्र, प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी, निविदादाता की सम्पूर्ण जानकारी मेडिकल उपकरण आपूर्ति का लाईसेन्स निर्माता/अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, अर्नेस्ट मनी का डी.डी. आदि।
26. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जो शर्तें उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट रूल्स के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।
27. निविदा दर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत/अपलोड करनी होगी।
28. मशीन की आवश्यकता होने पर या आपूर्ति की गई मशीन निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं पाये जाने पर, दोनों ही स्थिति में टेस्टिंग चार्जज निविदादाता को वहन करने होंगे।

29. निविदा के स्वीकृत दर पर आपूर्ति की गई मशीन का 90 प्रतिशत भाग राशि मशीन की आपूर्ति पर किया जायेगा। शेष 10 प्रतिशत भाग राशि का भुगतान सफलतम गारन्टी/वारन्टी अवधि के व्यतीत होने के पश्चात किया जाएगा।
30. प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेशिफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेशिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई अधिकृत या अनुमोदित नमूना न हो। अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जावेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेशिफिकेशन के अनुरूप हैं तथा या सैम्पल यदि कोई हो के अनुसार है किया गया निर्णय निविदादाता के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
31. निविदादाता द्वारा मशीन की निविदा के साथ तीन वर्ष तक मशीन में काम आने वाले स्पेयर्स कन्ज्यूमेबल्स की अनुमानित किमत संलग्न करनी होगी।
32. सफल निविदादाता आगामी 5 वर्षों या इससे अधिक वर्षों तक स्पेयर्स पाटर्स व सेवाओं की उपलब्धता कीमत पर सुनिश्चित करने की व्यवस्था (गारन्टी अवधि को छोड़कर) करेगा।
33. निविदादाता द्वारा अपने नजदीकी सर्विस स्टेशन का विवरण देना होगा एवं सक्षम अधिकारी से मशीन के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर 24 घण्टे के अन्दर दुरुस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करेगा तथा 72 घण्टे में सर्विस मुहैया करायेगा। इस सम्बन्ध में वारन्टी/गारन्टी अवधि को छोड़कर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
34. निविदादाता द्वारा मशीन एवं इससे सम्बन्धित उपकरणों की रखरखाव की गारन्टी की अवधि प्रस्तुत करनी होगी एवं आगामी 5 वर्ष के एएमसी/सीएमसी की दरे भी प्रस्तुत करनी होगी।
35. निविदा में दी जाने वाली मशीन कब-कब किन-किन संस्थानों में आप द्वारा आपूर्ति की गई का विवरण निविदा के साथ संलग्न करना होगा। यदि संभव हो तो वहां से प्राप्त मशीन की प्रदर्शन रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी।
36. क्रय कमेटी द्वारा चाहने/मांग करने पर वांछित दस्तावेज निविदादाता द्वारा प्रस्तुत करने होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पूरा पता

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर
(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय नागौर)

निविदादाता द्वारा कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन हेतु प्रस्तुत तकनीकी निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली चैक लिस्ट :-

क्र.सं.	विवरण	हा / नहीं
1	पेन कार्ड की प्रति	
2	वेट समाशोधन प्रमाण पत्र	
3	निर्माता या अधिकृत विक्रेता का प्रमाण-पत्र/घोषणा पत्र	
4	निविदा प्रपत्र शुल्क	
5	प्रोसेसिंग शुल्क	
6	घरोहर राशि	
7	कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन के सम्पूर्ण स्पेशिफिकेशन	
8	निविदादाता का नाम, पता एवं मेल आई डी, मोबाईल नम्बर	

**OFFICE OF THE PRINCIPAL MEDICAL OFFICER,
JLN GOVERNMENT HOSPITAL, NAGAUR**

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM

S.NO.	TECHNICAL SPECIFICIATIONS
	It should be robust state of art, fully digital high end latest Color Doppler Ultrasound System capable of performing imaging applications in abdominal, obs/gynae, musculoskeletal, cardiovascular, small parts, Urology, Cardiology, TCD etc.
	System should have broad band beam former capable of processing signals from 1-16 MHZ.
	System should in corporate facility for high resolution 2D, M-mode, PW, CW, Color Flow Imaging, Color Power Angio imaging, Directional Color Power angio imaging modes, 3D/4D.
	System should have to provide Quad Imaging with B, B+C, B+PW, B+M etc.
	System should have Full Spectrum Imaging, Speckle Reduction Filter, Spatial Compound Imaging, Pulse Inversion Harmonic Imaging , Trapezoidal Imaging & Contrast Enhanced Imaging (Low-MI),
	System should have Oblique View, Multi Slice View, OVIX (Oblique View Extended Imaging), Multi OVIX, Volume Contrast Enhancement (VCE), Volume CT.
	System should have real time triplex mode facility in 2D, color and Doppler modes.
	System should have dynamic range of 200 db or more.
	System should have high PRF (mention rate-highest will be preferred).
	System should have scan depth of 2 to 30 cm or more. Please specify through data sheet.
	System should have 256 shades of gray display.
	System should have minimum 900 frames per second or more. Please specify through data sheet.
	System should have facility for real time or frozen, pan or point zoom.
	System should have cine loop review minimum 5400 frames.
	System should have minimum 125000 or more receiving channels. Please specify through data sheet.
	System should have panoramic extended field of view.
	System should have Independent steering of B mode and color on linear probe.
	System should have Advanced 4D capabilities (with Convex, Endocavity, Linear Probes)
	It should have cardiac package for adult and fetal echocardiography.
	It should have extensive software and automatic and user programmable calculation package for gray scale, color Doppler, 3D and 4D applications.
	It should have minimum 19" high resolution medical grade TFT/LCD screen monitor with articulated arm.
	System should have Touch Screen Control 9" wide or more.
	System should have one click color optimization for getting 3D Clinical data (face etc.)
	System should have capability of splitting the screen horizontally while doing dual imaging.
	System should be provided with following transducers:
	Convex Abdominal 2-6 MHZ Approximately.
	Linear high frequency 5-13 MHZ approx.
	The system shall have three universal transducer ports with electronic switching capability allowing any transducer to be connected to any port.
	System should have built in Image Management Software, for off line application when patient has gone after examination, such as Image Manipulation, Multi Planner reformatting, surface & volume

S.NO.	TECHNICAL SPECIFICIATIONS
	rendering etc. It should have hard disk memory of 500 GB or more with built in CD/DVD read write.
•	System should be upgradeable to Elastography Imaging to evaluate tissue stiffness of breast, prostate and small parts applications on Linear and Endocavity Transducer with elastic quantification.
•	System should be upgradable to Volume NT
•	System should be upgradable to HDVI
•	System should be upgradable to 3D MXI (Volume Slice View , Mirror View)
•	Offered system must be USA FDA & European CE approved.
•	Please respond to each specification in the same format and order and support it with Product Data Sheet.

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर
(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजकीय चिकित्सालय नागौर)

सम्पर्क सूत्र : 9414024958 एवं 9413141658

क्रमांक:-आरएमआरएस/चिकित्सा/लेखा/2016-17/

दिनांक:-

—: तकनीकी निविदा प्रारूप :-

1.(सामग्री का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता :-.....
.....
.....
ईमेल आई.डी.....दूरभाष/मोबाईल नम्बर.....
3. किसको सम्बोधित किया गया है :- सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर।
4. संदर्भ :- निविदा संख्या
5. निविदा शुल्क राशि रुपये 400/- अक्षरे चार सौ रुपये मात्र डी.डी. नंदिनांकद्वारा जमा करवा दी गई है।
6. प्रोसेसिंग शुल्क राशि 500/- रुपये(अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र) डी.डी.न.....दिनांक.....द्वारा जमा करवा दी गई है।
7. मैं/हम आपके द्वारा की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये हैं)
8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर माल की सुपूर्दगी कर दी जावेगी।
9. फर्म का वेट पंजीयन संख्या
10. संलग्न की गई दरें दिनांक तक विधि मान्य है। निविदा अपलोड/प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक को दोपहर बजे तक है।
11. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या जो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर के नाम पर आहरित किया गया हो, अर्नेस्ट मनी पेटे संलग्न किया जाता है।
12. विनिर्माता/डीलर आदि का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
13. तकनीकी स्पेशिफिकेशन, वेट क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एवं निविदा दाता की सम्पूर्ण जानकारी मेडिकल उपकरण आपूर्ति करने का लाइसेंस संलग्न कर दिया गया है।

निविदादात के हस्ताक्षर मय सील

—: निविदादाताओं द्वारा घोषणा :-

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस माल/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोना फाइंड निर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/हॉल सेलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं। जिसके प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
2. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म/कम्पनी को कही भी आपूर्ति की किसी भी सामग्री/उपकरण को विगत 3 वर्षों में Sub Standard घोषित नहीं किया गया तथा हमारी एजेंसी को किसी भी कारण से किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
3. हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा समान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसभी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना/हमारी बयाना राशि/प्रतिभूति को पूर्णरूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जावेगा।

संलग्न:-छाया प्रतियाँ

निविदादात के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर
(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजकीय चिकित्सालय नागौर)
क्रमांक:-आरएमआरएस/चिकित्सा/लेखा/2016-17/ दिनांक:-

1. फर्म का नाम एवं पता.....
2. उपकरण का नाम.....मेक एवं मोडल.....

(अ) हमारे द्वारा निविदा में अंकित मशीन/उपकरण को राजस्थान के निम्न निजी/राजकीय संस्थानों में आपूर्ति की गई है (आदेश की प्रतियाँ संलग्न करावें।)–

[illegible]

(ब) हमारे द्वारा निविदा में अंकित मशीन की सर्विसिंग/मरम्मत के लिए राजस्थान में स्थापित सर्विस सेन्टर के पते निम्नानुसार है :-

1.
2.
3.
4.

(स) आपूर्ति प्राप्त संस्थानों द्वारा मशीन परिचालन के बारे में टिप्पणीयाँ संलग्न हैं—

निविदादात के हस्ताक्षर मय सील

Office of Principal Medical Officer, JLN Govt. Hospital Nagaur

Tender Document

1. Name of Equipment : Color Doppler Sonography Machine
2. N.I.T. No. :
3. Estimated Cost :
4. Earnest Money :
5. Tender Fees :
6. Processing Fees :
7. Period for Completion :
8. Due Date for :-
 1. Upload of Tender : Up to
 2. Receiving of Tender :
 3. Opening of Tender :
9. DD No/Banker Chq No.....Dated:-.....By Which Tender Application Fees Deposited.
10. DD No/Banker Chq No.....Dated:-.....By Which Tender Earnest Money Fees Deposited.
11. DD No/Banker Chq No.....Dated:-.....By Which Tender Processing Fees Deposited.
12. Name & Complete Address of Tenderer :-
.....
.....
.....
.....
13. Telephone /Fax No.....

Signature of Tenderer with Seal

Office of Principal Medical Officer, JLN Govt. Hospital Nagaur

1. Name of Equipment : Color Doppler Sonography Machine
2. N.I.T. No. :

Instruction to Tenderers :-

1. Tender are submitted on prescribed form which can be uploaded from the <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> and www.rajswasthya.nic.in on payment of prescribed amount on DD/Bankers Cheque. The Tender Document (form) will be available on above sites from Date.....Till Date.....before submitting the tender, It should be ensured that all the tender papers including condition of Contract are signed by Tenderer. The Tender Documents Will be received in the offices of PMO JLN HOSPITAL NAGAU up toon Dated.....and will be open in this office on the same day atin the presence of such tenderer or their representatives who wish to be present there.
2. Tenderer will have to deposit the earnest money in DD/Bankers cheque. DD/Bankers Cheque will be issued in favour of Member Secretary Rajasthan Medicare Relief Society, Nagaur.
3. Tender are advised to give their offer duly signed on each pages of Tender document with the proof of depositing earnest money/Tender Fee/Processing Fees.
4. The acceptance of Tender will be rest with the PMO who reserves the right to reject any/or all the tender received without assigning any reasons.
5. Tender form are received by office of PMO Nagaur must be returned with enclosures to the PMO Nagaur on the date of receipt of Tender.
6. The Tender from work shall remain open for acceptance for the period of 90 days from the dated of opening of tender. If any tenderer withdraws his offer before the expiry of the side period, makes modification in the terms & condition of Tender within the said period which are not acceptable to the department or fails to supply the work in the specified period, the department shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the entire amount of earnest money absolutely.
7. All Tender in which any of the prescribed are not fulfilled or which have vitiated by errors in calculation, totaling or other discrepancies or which contain overwriting on figures or words or correction not initialed and dated will be liable to rejection.
8. Any tender received other than on prescribed form shall not be entertained. The Tender form can also be downloaded from the website and this shall be entertained. Cost of the tender form downloaded from the website <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> and www.rajswasthya.nic.in in shall be deposited by the tenderer separately as applicable by way of the Demand Draft along with the earnest money.

Signature of Tenderer

Principal Medical officer

Office of Principal Medical Officer, JLN Govt. Hospital Nagaur

Annexure –A : Complicance with the code of Inegrity and Non Confilict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) Not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict or interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest

The Bidder participation in a bidding process must not have a conflict of interest.

A conflict of Interest in considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibility, contractual obligations or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict or Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited or:
 - a. Have controlling partners/shareholders in common or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid: or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of the Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participation as Bidder in More than one Bid: or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in there proparation of the design or technical specification or the Goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired(or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with seal

Office of Principal Medical Officer, JLN Govt. Hospital Nagaur

Annexure –B : Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by The Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.....for procurement of
.....in response to their Notice Inviting Bid No.....
Dated.....I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act 2012 that :

1. I/We possess the necessary professional technical, financial and managerial resources and competence, technical required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and state Government of any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Dated :-

Place :-

Signature of Bidder.....

Name

Designation.....

Address :.....

.....

.....

.....

Office of Principal Medical Officer, JLN Govt. Hospital Nagaur

Annexure –C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is : District Collector, Nagaur

The designation and address of the Second Appellate Authority is : Director Medical & Health Services
Rajasthan, Jaipur

1. Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an app

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2) or if the Bidder of prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first Appellate authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellated Authority specified in the Bidding document in the behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date or receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters namely:-

- a. Determination of need of procurement;
- b. Provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- c. Cancellation of procurement process
- d. Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal

- a. An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b. Every appeal shall be accompanied by an order appealable against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal

- a. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b. The fee shall be paid in the form of Bank demand draft of Bankers Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority

7. Procedure for disposal of Appeal

- a. The first Appellate Authority or second appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b. On the date fixed for hearing, the first appellate authority or Second appellate authority, as the case may be, shall ;-
 1. Hear all the parties to appeal present before him ; an
 2. peruse or inspect document, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and proved the copy of order to the parties to appeal free of cost.

- d. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM NO. 1 (See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012

Appeal No.....of

Before the.....(First/Second Appellate Authority)

A. Bidd

1. Particulars of Appellant;
 - a. Name of Appellant:
 - b. Official Address, if any:
 - c. Residential Address;
2. Name & Address of the respondents(s) :
 - a.
 - b.
 - c.
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy) or a statement of a decision, action or omission of the procurement entity in contravention to the provision of the Act by which the appellant is aggrieved.
4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
.....
5. Number of affidavits and Documents enclosed with the appeal.
6. Grounds of Appeal: (Supported by affidavit).....
7. Prayer :.....

Place.....

Date.....

Appellants Signature

Office of Principal Medical Officer, JLN Govt. Hospital Nagaur

Annexure –D : Additional Conditions of contract

1. Correction of arithmetical error

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evolution of Financial Bid on the following basic:

- a. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement or the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- b. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotal, the subtotal shall prevail and the total shall be corrected; and
- c. If there is a discrepancy between words & figures, the amount in word shall prevail, unless the amount expressed in word is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the Bidder the submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors its bids shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid security Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

- a. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- b. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise in the condition of contract.
- c. In case of procurement of Goods or service, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidders at the time of award (In case of Procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, Whose Bid is accepted and the Second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a Fair, Transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, Whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

—: वित्तीय निविदा प्रारूप :—

1. कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन (सामग्री का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता :—
.....
.....
ईमेल आई.डी.....दूरभाष/मोबाईल नम्बर.....
3. किसको सम्बोधित किया गया है :— सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर।
4. संदर्भ :— निविदा संख्या
5. हमारे द्वारा तकनीकी बिड में प्रस्तुत कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन की दर निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	कीमत	कर व शुल्क (समस्त प्रकार के)	कुल कीमत
1	कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन (स्पेशिफिकेशन अनुसार)	1	कीमत BOQ में ही डाले		

नोट :—

1. उपरोक्त दर स्थापना , प्रशिक्षण, एवं विविध व्यय सहित होगी।
- 2- AMC/ CMC charges as per annexure 1

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, नागौर
(प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजकीय चिकित्सालय नागौर)

Annexure

AMC/CMC charges after warranty period

After warranty	Comprehensive AMC charges	Non comprehensive (labour only) Charges
1 th year		
2 th year		
3 rd year		
4 th year		
5 th year		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील